तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4624/2003/अलवर इन्द्राज बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री राजेश सिंह, सदस्य

उपस्थितः

श्री जे.के. पन्त, अभिभाषक प्रार्थी।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 15–5–2026

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी को खारिज किया गया है।

3– हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के तहत् ग्राम चुडला स्थित विवादित आराजीयात बाबत् एक वाद प्रस्तुत किया गया। वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उनका यह कथन है कि प्रार्थी का विवादित भूमि खसरा नंबर 365 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा में से रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि में कब्जा काश्त चला रहा है, जो जमाबन्दी संवत् 2016 से स्पष्ट है एवं वादीगण का उक्त भूमि से कोई सरोकार एवं संबंध नहीं है, न ही उनका कभी कब्जा रहा है। बल्कि विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षों से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है एवं वह उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रार्थी का उक्त वाद में हित–निहित है। इसलिए प्रार्थी को उक्त वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–2003 निरस्त किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4624/2003/अलवर इन्द्राज बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

5— हमने प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6— हस्तगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 1 नियम 10(2) से संबंधित है जो कि निम्नानुसार है—

''आदेश 1 नियम 10 (2)— न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड सकेगा— न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काटा दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वर्लित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।''

इस प्रावधान से स्पष्ट है कि जहां न्यायालय यह समझता है कि न्याय के निपटारे के लिए किसी को वादी या प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक है, तो उन्हें न्यायालय पक्षकार बनाने का आदेश दे सकता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 88, 89, 188 के तहत ग्राम चूडला तहसील मुण्डावर में स्थित विवादित आराजी में से 2 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया । उक्त वाद के लम्बित रहते प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी कब्जाधारी होने के आधार पर पक्षकार बनने हेतु का प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय द्वारा उसे प्रभावित एवं हितबद्ध पक्षकार नहीं मानकर उसका प्रार्थना—पत्र खारिज किया है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार का आदेश दिनांक 23—4—2003 के अनुसार प्रार्थी की स्थिति एक अतिक्रमी की होकर बेदखल किए जाने के आदेश पारित किए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की हैसियत एक अतिक्रमण के आधार पर उसके द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को किसी भी दृष्टिकोण से हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है। इस प्रकार हमारी राय में निगरानी के स्तर पर प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत् पक्षकार बनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रार्थना—पत्र केवल प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है, जो खारिज योग्य ही था। इस संबंध में आर.बी.जे. 2020 पृष्ठ 264 में यह अभिमत निर्धारित किया है कि—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4624/2003/अलवर इन्द्राज बनाम रामजीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"Civil Procedure Code 1908-Order 1 Rule 10-Impleadment of parties-When no relief has been claimed against respondent no 2 and 3 nor any of their rights are likely to be effected.They cannot be impleaded as party." इसी प्रकार में आर.बी.जे. 2019 पृष्ठ 240 में यही मत अभिनिर्धारित किया है कि– **"CODE OF CIVIL PROCEDURE, 1908-Order 1, Rule 10**-When petitioners are neither the necessary nor proper party in the dispute- They cannot be impleaded as party." उक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज योग्य हैं। 7– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजेश सिंह) सदस्य	